11

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक– 04/02/2016

संख्या– 1/स्था0 (2) 1001/2010.......401......... भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार राज्य पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।</u>– (1)यह नियमावली बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2014 के नियम– 3 के उप नियम–(1) में प्रयुक्त शब्द "बिहार पशु चिकित्सा सेवा" शब्द "बिहार पशु चिकित्सा सेवा" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. बिहार पशु चिकित्सा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014 के नियम– 5 में संशोधन निम्नलिखित प्रकार से किये जायेंगे :–
   (i) नियम– 5 के उप नियम– (1) में "बी0 भी0 एस0 सी0 एण्ड ए0 एच0" शब्द को "बी0 वी0 एस0 सी0 अथवा बी0 वी0 एस0 सी0 एण्ड ए0 एच0" शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
   (ii) नियम– 5 के उप नियम– (1) में "किसी सरकारी अस्पताल में नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्त पशु चिकित्सकों" शब्द को "बिहार सरकार के अधीन संविदा/ अनुबंध पर नियुक्त पशु चिकित्सक, पशुपालन पदाधिकारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ (एस0 एम0 एस0) के रूप में कृषि विभाग में संविदा पर नियोजित पशु चिकित्सा स्नातकों, बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन (कम्फेड) में कार्यरत् पशु चिकित्सक तथा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) में कार्यरत् पशु चिकित्सकों" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
   (iii) नियम– 5 के उप नियम– (2) में सामान्य संवर्ग की कंडिका– 01 में शब्द "बी0 वी0एस0 सी0 एण्ड ए0 एच0" के पूर्व शब्द "बी0 वी0 एस0 सी0 अथवा" जोड़े जायेंगे।
   (iv) नियम– 5 के उप नियम– (2) में सामान्य संवर्ग की कंडिका– (iii) में "सरकारी पशु चिकित्सालयों में नियमित नियुक्ति/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति उपरांत" शब्द को "नियम– 5 के यथा संशोधित उप नियम– (1) में उपबंधित अधिमानता के अनुसार" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(v) नियम– 5 के उप नियम– (2) में विशेषज्ञ संवर्ग की कंडिका– (i) में "एम0 वी0 एस0 सी0 एण्ड ए0 एच0" (M.V.Sc. & A.H.)" शब्द को "एम0 वी0 एस0 सी0 (M.V.Sc)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vi) नियम– 5 के उप नियम– (2) में 'विशेषज्ञ संवर्ग' की कंडिका– (ii) में "सरकारी पशु चिकित्सालयों में नियमित/अनुबंध नियुक्ति उपरान्त कार्य अनुभव" शब्द को "नियम– 5 के यथा संशोधित उप नियम– (1) में उपबंधित अधिमानता के अनुसार कार्य अनुभव के लिए अंक" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) नियम– 5 के उप नियम– (3) में "परीक्षा होने वाला" शब्द को "विज्ञापन प्रकाशन" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(viii) नियम– 5 के उप नियम– (5) में "भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अथवा उसके अधीन गठित अन्य राज्य पशु चिकित्सा परिषद्" शब्द को "बिहार पशु चिकित्सा परिषद्" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ix) नियम– 5 की टिप्पणी– (क) में "बी0 वी0 एस0 सी0 एण्ड ए0 एच0 (B.V.Sc. & A.H.)" के पूर्व " बी0 वी0 एस0 सी0 (B.V.Sc.) अथवा" शब्द जोड़ा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
03/02/2016
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/ स्था0 (2) 1001/2010 402 / पटना–15, दिनांक– 04/02 /2016

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र (गजट) की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

3/2/16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–1/ स्था0 (2) 1001/2010 402 / पटना–15, दिनांक– 04/02 /2016

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/2/16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–1/ स्था0 (2) 1001/2010 402 / पटना–15, दिनांक– 04/02 /2016

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/2/16
सरकार के उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner